

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 90 / 2025

1. प्रमोद कुमार पुत्र सुभाष जाति नाई निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
 2. संदीप कुमार पुत्र सुभाष जाति नाई निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- वदीगण

बनाम्

1. सुभाष पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. सरोज पुत्री सुभाष पत्नी महेन्द्र कुमार जाति नाई निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला
श्रीगंगानगर ।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 30/4/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीत सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 2 एम. के. एस ए के खाता सं० 150/156 में से प्रतिवादीसं० 1 के नाम से दर्ज आराजी में प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्सा आराजी के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 2 एम. के. एस ए के खाता सं० 150/156 में से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।